"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2002—आषाढ़ 19, शक 1924

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 06/04/2002/923.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 480/2002-PLN III, दिनांक 10 जुलाई, 2002 एवं 480/2002-(1) PLN III, दिनांक 10 जुलाई, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 2002—19 आषाढ़, 1924 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2002-योजना अनु.-III.—यत: श्री कृष्ण कान्त, भारत के उप-राष्ट्रपति की पदावधि 20 अगस्त, 2002 को समाप्त हो रही है; और

यत: पदधारी उप-राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उप-राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख ऐसे नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन समय पर पूरा हो जाए और निर्वाचित उप-राष्ट्रपति अपना पद 21 अगस्त, 2002 को ग्रहण करने में समर्थ हो सके;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा उक्त निर्वाचन के लिए :—

(क)	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	24 जुलाई, 2002 (बुधवार)
(ख)	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	25 जुलाई, 2002 (बृहस्पतिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	27 जुलाई, 2002 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा.	12 अगस्त, 2002 (सोमवार)

नियत करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(शरन पाल सिंह)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 10th July, 2002— Asadha 19, 1924 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2002-PLN III.—Whereas, the term of office of Shri Krishan Kant, Vice-President of India, is due to expire in terms of Article 67 of the Constitution, on the 20th day of August, 2002; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under Sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 21st day of August, 2002;

Now, therefore, in pursuance of Sub-section (1) of Section 4 of the said Act, the Election Commission hereby appoints, in respect of the said election :—

(a) the 24th July, 2002 (Wednesday), as the last date for making nominations;
(b) the 25th July, 2002 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) the 27th July, 2002 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
(d) the 12th August, 2002 (Monday), as the date on which a poll shall if necessary, be taken.

By Order.

Sd/-
(Sharan Pal Singh)
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 2002—19 आषाढ़, 1924 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2002 (1)-योजना अनु.-III.—राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा;

(क) अपनी अधिसूचना सं. 480/2002-योजना-III दिनांक 10 जुलाई, 2002 के अनुसार उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा नं. 63 प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है.

(ख) 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त स्थान पर मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(शरन पाल सिंह)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 10th July, 2002— Asadha 19, 1924 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2002 (1)-PLN-III.—In pursuance of rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission hereby;

(a) fixes Room No. 63, first floor, Parliament House in New Delhi as the place of polling for the Vice-Presidential Election to be held in accordance with its Notification No. 480/2002—PLN-III dated the 10th July, 2002; and

(b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at the said place of polling.

By Order,

Sd/-
(Sharan Pal Singh)
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.